कुलसचिव
**Registrar**

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
बलिया
**Jananayak Chandrashekhar University**
**Ballia**

पत्रांक : JNCU–कु0स0 / 71 / 2017 दिनांक: 30 मई, 2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्वामीनाथ महाविद्यालय,
शहरपलिया, खड़सरा,
बलिया।

विषय : महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 09.03.2017 के सन्दर्भ में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–975 / 79–1–14–1(क) / 19 / 2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37 एवं 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तरित / निहित किए जाने के फलस्वरूप सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या–2527 / सत्तर–2–2008–2 (166) 2002 दिनांक 10 जून, 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 की संस्तुति एवं मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में **स्वामीनाथ महाविद्यालय, शहरपलिया, खड़सरा, बलिया** को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में प्रपत्र बी में इंगित कमियों यथा सी0ए0 द्वारा सत्र 2017 का बैलेन्ससीट का प्रमाण न होने, कक्षा संचालन की अनुमति का प्रमाण न होने, तीन वर्षों का परीक्षाफल न होने, शिक्षकों के वेतन भुगतान का अद्यतन प्रमाण न होने, सामूहिक नकल में आरोपित होने, अग्निशमन का प्रमाण न होने, वेबसाइट न होने, सम्पूर्ण व्याख्यान कमरों का विवरण, शिक्षकों का सी0पी0एफ0 एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम के शिक्षकों का सम्पूर्ण विवरण / आधार कार्ड के साथ न होने को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01.07.2017 से तीन वर्ष हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. महाविद्यालय तीन माह के अन्दर सी0ए0 द्वारा सत्र 2017 का बैलेन्ससीट का प्रमाण, कक्षा संचालन की अनुमति का प्रमाण, अद्यतन परीक्षाफल, बैंक से शिक्षकों के वेतन भुगतान का अद्यतन प्रमाण, सामूहिक नकल में आरोपित न होने, अग्निशमन का प्रमाण, वेबसाइट, सम्पूर्ण व्याख्यान कमरों का विवरण, शिक्षकों का सी0पी0एफ0 एवं संचालित पाठ्यक्रम के शिक्षकों का सम्पूर्ण विवरण / आधार कार्ड के साथ होने का प्रमाण अवश्य प्रस्तुत करेगा।
2. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 37 (2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा निर्गत सम्बद्धता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
3. महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 15 अगस्त तक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16 (92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशो एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका सं0–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2 (650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। महाविद्यालय द्वारा अद्यतन कार्यरत प्राचार्य सहित शिक्षकों का फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड के साथ विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा अन्यथा की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अभिलेख भविष्य में इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
8. सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रकरण कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा–37(6), 37 (7) तथा 37 (8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगेः–

   37(6) :–कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय–समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।

   37(7) :–कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

   37(8) :–कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तो को पूरा करने में असफल हो महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

   उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।
10. महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा कमियों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में एक सप्ताह के अन्दर इस आशय का पचास रूपये के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सम्बद्धता आदेश में प्रदर्शित कमियों को तीन माह में पूर्ण न करने एवं भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाये जाने व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :–
1– मा0 कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2– विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4– सम्बंधित पत्रावली।

कुलसचिव